भारत की पूर्व-स्वीकृति के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिये अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-606/डब्ल्यू. पी.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन 127 (एम. पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्र. 195] भोपाल, शनिवार, दिनांक 25 दिसम्बर 1982—पौष 4, शके 1904

स्कूल शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 4 नवम्बर 1982

विषय :—मध्यप्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् का गठन

संकल्प

मध्यप्रदेश शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की स्थापना करने के संबंध में राज्य शासन ने निम्नलिखित संकल्प किया है.

2. मध्यप्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एस. सी. ई. आर. टी.) केन्द्र में स्थापित राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन. सी. ई. आर. टी.) के समान राज्य स्तरीय होगी. यह परिषद् औपचारिक तथा औपचारिकेतर स्कूल शिक्षा के लिये पाठ्यचर्या तथा पाठ्य पुस्तकें विकसित करना, शिक्षा को तकनीकी सहयोग देना, उचित मूल्यांकन की तकनीकी और प्रक्रियाएं शिक्षा में लाना, शिक्षकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित करना, शैक्षणिक शोध तथा शिक्षा प्रणाली में गुणात्मक सुधार आदि कार्य करेगी. परिषद् शैक्षणिक समस्याओं के हल करने में "[illegible]" भूमिका निभायेगी तथा स्कूल शिक्षा विभाग के एकडेमिक अंग के रूप में कार्य करेगी.

3. स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत शामिल राज्य स्तर संस्थान अर्थात् राज्य शिक्षा संस्थान भोपाल, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर, शिक्षा महाविद्यालय एवं [illegible] महाविद्यालय जबलपुर, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, भोपाल तथा [illegible] प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान, [illegible] परिषद में होगा. राज्य स्तर संस्थानों के अधिकारी और कर्मचारी परिषद के अंतर्गत [illegible] के रूप में कार्य करेंगे.

4. [illegible] शिक्षा महाविद्यालय तथा बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाएं, परिषद् को हस्तांतरित कर दिये जायेंगे, इन पर प्रशासनिक नियंत्रण [illegible], राज्य शैक्षिक अनुसंधान, और प्रशिक्षण परिषद् का होगा और वे इन संस्थाओं के लिये [illegible] होंगे. [illegible] का जो कार्य लोक शिक्षण संचालक द्वारा किया जाता था वह अब राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के संचालक द्वारा किया जाएगा.

5. राज्य स्तर संस्थाओं, शिक्षा महाविद्यालयों तथा बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं में जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति के अधिकार [illegible] लोक शिक्षण संचालक को हैं, उनका संवर्ग अलग न होकर स्कूल शिक्षा विभाग के [illegible] संवर्ग का ही पद है [illegible] इन संस्थानों का "पर्सोनल मैनेजमेन्ट" अन्य आदेश होने तक संचालक लोक शिक्षण द्वारा ही किया जायेगा. [illegible] पदस्थ होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को कम से कम तीन साल तक इन संस्थाओं से संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की सहमति के बिना हटाया या स्थानांतरित नहीं किया जायेगा, जब तक कि पदोन्नति के लिये उनका हटाना आवश्यक न हो.

6. [illegible] के अनुसार [illegible] शाला, उज्जैन भी परिषद् को हस्तांतरित की जायेगी.

Scanned by CamScanner

[illegible] शाला काम्पलेक्स में परिषद् द्वारा शैक्षणिक सुधार संबंधी प्रयास [illegible] किये जायेंगे [illegible] स्कूल काम्पलेक्स को छोड़ कर अन्य स्कूल काम्पलेक्स का चयन किया जायेगा।

8. परिषद् को हस्तांतरित होने वाली शिक्षण संस्थाओं से संबंधित लोक शिक्षण संचालक कार्यालय में होने वाला [illegible] परिषद् को हस्तांतरित होगा। लोक शिक्षण संचालक से जो शिक्षण संस्थाएं परिषद् को हस्तांतरित होंगी उनके संचालन के लिये [illegible] के जितने पद परिषद् के अन्तर्गत हस्तांतरित किये जायेंगे इसका [illegible] लोक शिक्षण संचालक [illegible] और शासन को प्रतिवेदन देंगे।

9. विभागीय अधिकारियों को आदेश जारी किये जायेंगे कि उनके द्वारा परिषद् के कार्य में पूर्ण सहयोग दिया जाय। संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा उन्हें अथवा शिक्षकों को जब भी बैठकों में बुलाया जावे, वे उनमें शामिल होंगे। यदि समय कम हो तो इसके लिये अपने वरिष्ठ अधिकारी का अनुमोदन बाद में प्राप्त कर सकते हैं।

10. राज्य शासन ने यह भी निर्णय लिया कि उपर्युक्त विभिन्न निर्णयों को तत्काल कार्यान्वित किया जाय और यह कि संकल्प में उल्लिखित व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाय.

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण) में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतियां सभी विभागों, सभी विभागाध्यक्षों, सभी आयुक्तों, सभी कलेक्टरों, विभाग के सभी संभागीय और जिला अधिकारियों तथा प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रमुखों को भेजी जायें.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक वाजपेयी, सचिव

Scanned by CamScanner

"बिज. पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 249] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 जून 2013—ज्येष्ठ 31, शक 1935

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 जून 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1–128/2009/20 -क.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् एवं इसकी अधीनस्थ संस्थाएं (राजपत्रित), सेवा में भर्ती से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.–** (1) ये नियम छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् एवं इसकी अधीनस्थ संस्थाएं (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2013 कहलाएंगे।
   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.–** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –
   (क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन;
   (ख) "समिति" से अभिप्रेत है, अनुसूची–चार में यथा विनिर्दिष्ट विभागीय पदोन्नति हेतु चयन समिति;

148
30-8-2013

Scanned by CamScanner

अनुसूची—एक
(नियम 5 देखिए)

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् एवं इसकी अधीनस्थ संस्थाएं (राजपत्रित) सेवा

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	ग्रेड वेतन	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद	01	प्रथम श्रेणी	37400—67000	8900	छत्तीसगढ शासन
2.	1. संयुक्त संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 2. प्राध्यापक, प्रवर श्रेणी राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमेट) 3. प्राचार्य, उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान 4. प्राचार्य, शिक्षा महाविद्यालय	02 03 01 01	प्रथम श्रेणी	15,600—39100	7600	छत्तीसगढ शासन
3.	1. प्राध्यापक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 2. प्राध्यापक, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान 3. प्राध्यापक, उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान 4. प्राध्यापक, शिक्षा महाविद्यालय 5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	03 03 03 03 16	प्रथम श्रेणी	15600—39100	6600	छत्तीसगढ शासन
4.	1. सहायक प्राध्यापक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 2. सहायक संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 3. सहायक प्राध्यापक, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान 4. सहायक प्राध्यापक, ऑंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, 5. सहायक प्राध्यापक, उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान 6. सहायक प्राध्यापक, शिक्षा महाविद्यालय 7. समन्वयक, उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान 8. समन्वयक, शिक्षा महाविद्यालय	13 01 03 03 11 11 01 01	द्वितीय श्रेणी	15600—39100	5400	छत्तीसगढ शासन

Scanned by CamScanner

	9. उप प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान 10. प्राचार्य, बुनियादी प्रशिक्षण संस्था 11. सहा. प्राध्यापक, ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान 12. चीफ ट्यूटर, जिला आंग्ल भाषा केन्द्र	16 02 80 03				
5.	1. संयुक्त संचालक (वित्त) 2. वित्त अधिकारी (सीमेट)	01 01	प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी	15600—39100 15600—39100	7600 5400	प्रतिनियुक्ति द्वारा (राज्य वित्त सेवा से)
6.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर (सीमेट)	01	द्वितीय श्रेणी	15600—39100	5400	छत्तीसगढ शासन
7	1. व्याख्याता, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 2. व्याख्याता, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान (ईएलटीआई) 3. व्याख्याता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान 4. व्याख्याता, बुनियादी प्रशिक्षण संस्था 5. ट्यूटर, जिला आंग्ल भाषा केन्द्र	09 02 192 11 09	द्वितीय श्रेणी	9300—34800	4300	छत्तीसगढ शासन

Scanned by CamScanner